## HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt. No.  $\frac{B/366}{II-15-18/2001}$ 

Jabalpur, dated 2 | January, 2025

Copy to the notification of the Government of Madhya Pradesh F.No. 24/21-B(1)/2025, Bhopal, dated 09.01.2025 and 17/21-B(1)/2025, Bhopal, dated 09.01.2025 issued as per the provisions of Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) is forwarded to ;

- 1. Registrar Cum PPS of Honourable The Chief Justice for kind information of His Lordship;
- 2. The Secretary to the Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for kind information and necessary action;
- 3. The Principal District and Sessions Judge **Panna and Raisen** for kind information and necessary action;
- 4. District Judge (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
- 5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
- 7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
- 8. The Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary), Registrar(M.) (Confidential) for information;

9. The Deputy Registrar (Protocol) and the Administrative Officer Checker Section High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.

(RITURAJ SINGH CHOUHAN)

REGISTRAR (District Establishment)

## मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक /01/2025

फा. क्रमांक 24/21—ब(एक)/2025, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 43—2009—2251—इक्कीस—ब(एक)/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का	सिविल जिले	मध्यवर्ती स्तर की	ग्राम न्यायालय
		स्थल	का नाम	पंचायत के लिए	के मुख्यालय
				ग्राम न्यायालय	का नाम
(1)				का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"52.	श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, पवई	पवई	पन्ना	पवई	पवई ।"।

### **NOTIFICATION**

F.No. 24/21-B(1)/2025,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) /13, dated 10<sup>th</sup> May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

### **AMENDMENT**

In the said notification, in the table, for serial number 52 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

#### TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level	Name of Headquart er of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"52.	Smt. Himanshi Thakur Bhardwaj, Civil Judge Junior Division, Pawai	Pawai	Panna	Pawai	Pawai.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( नरेन्द्र प्रताप सिंह ) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 🥞 01/2025

पृ. क्र. 24 / 21 – ब (एक) / 2025,

प्रतिलिपिः-

रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, के पत्र क्रमांक A/7670 दिनांक 06.11. 2024 के संदर्भ में सूचनार्थ,

उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र 2. भाग-एक) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

शाखा प्रभारी, आई.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की 3. प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

द्भाध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक /01/2025

फा. क्रमांक 17 / 21—ब(एक) / 2025, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 43—2009— 2251—इक्कीस—ब(एक) / 13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 53 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः—

### सारणी

अनु. क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
	(2)	(3)	(4)	का नाम (5)	(6)
"53.	(2) श्री मनीष अनुरागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	रायसेन	रायसेन	रायसेन	रायसेन।"।

### **NOTIFICATION**

F.No. 17/21-B(1)/2025,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) 13, dated 10th May, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, namely:-

### **AMENDMENT**

In the said notification, in the table, for serial number 53 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-2.....

### TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"53.	Shri Manish Anuragi, II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division, Raisen	Raisen	Raisen	Raisen	Raisen.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( नरेन्द्र प्रताप सिंह ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्र. 17 / 21—ब(एक) / 2025, प्रतिलिपिः— भोपाल, दिनांक 🛮 🌖 / 01 / 2025

- रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, के पत्र क्रमांक B/5106 दिनांक 07.11. 2024 के संदर्भ में सूचनार्थ,
- 2. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग—एक) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 3. शाखा प्रभारी, आई.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

🎾 ( औं. पी. रघुवंशी )

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High cost of Mashya Pradoch

17 JAN 7525

Ray No. 2318

Reset 1' k

F.7 -

The last